राष्ट्रीय महिला आयोग
भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र,
नई दिल्ली- 110025

<u>विषय: मीडिया सलाहकार की नियुक्ति</u>

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का 20) के अधीन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं को संवैधानिक और विधिक रक्षोपायों, विद्यमान विधानों का पुर्नविलोकन, विधियों में संशोधन करने की सिफारिश करने, शिकायतों की जांच करने, महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने, संकटग्रस्त महिलाओं को विधिक या अन्यथा समर्थन प्रदान करने, सरकार की विधान और नीतियों के क्रियान्वयन को मानीटर करने और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार को फीडबैक प्रदान करने, के उद्देश्य से की गई है। आयोग, संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान क्रियाकलाप करने, महिलाओं की उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए, आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति की कमी का पता लगाने, ऊबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए, भी उत्तरदायी है ।

राष्ट्रीय महिला आयोग एक मीडिया सलाहकार को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है जो मीडिया रिपोर्टों को मानीटर करने और मुद्रण तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि को जानकारी प्रचारित करने का उत्तरदायी होगा ।

आवेदक के पास जनसंपर्क संसूचना (मास क्मनुकेशन)/पत्रकारिता/अंग्रेजी साहित्य/समाज शास्त्र में डिग्री/स्नात्तकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और मीडिया प्रबन्धन में पर्याप्त अनुभव तथा उत्कृष्ट संदेश प्रेषण कुशलता होनी चाहिए। चयन किए गए आवेदक को 70,000 रूपये प्रतिमास पारिश्रमिक संदत्त होगा और वह राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025 से कार्य करेगा ।

आवेदन विहित फार्मेट में अवर सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली -110025 को तारीख 23 अक्तूबर, 2017 तक भेजे जा सकते हैं या us-ncw@gov.in ईमेल किए जा सकते हैं। अल्पसूची में के अभ्यर्थियों को अक्तूबर, 2017 के अंतिम सप्ताह में या नवम्बर, 2017 के प्रथम सप्ताह में संवाद/साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह यथासंभव शीघ्र पद ग्रहण करें ।

F.No.1/2/(2)2017-NCW(A)-Media Adviser
National Commission For Women
Plot No.21, Jasola Institutional Area,
New Delhi – 110 025.

Subject: Engagement of Media Adviser

The National Commission for Women had been established under the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) with the objective of ensuring constitutional and legal safeguards to women, review of the existing legislations, suggest amendments in the laws, look into complaints, take suo-motu cognizance of cases involving deprivation of rights of women, provide support, legal or otherwise to women in distress, monitor implementation of legislations and polices of the Government and also to provide feedback to the government for improving the planning process for ensuring socio economic development of women. The Commission also undertakes promotional and educational research activities to identify factors responsible for impeding the growth of women, lack of access to housing and basic services, reducing drudgery and occupational health hazards and improving their productivity.

The National Commission for Women proposes to engage a Media Adviser who will be responsible for monitoring media reports and disseminating information to print and electronic media, social media, etc.

The applicant should have a Degree/Post Graduate Degree in Mass Communication/Journalism/English Literature/Social Sciences with adequate experience in media management and excellent communication skills. The selected candidate will be paid remuneration @ Rs.70,000/- per month and will be required to operate from the Office of the National Commission for Women, Plot No.21, Jasola Institutional Area, New Delhi – 110 025.

Applications in the prescribed format may be forwarded to the Under Secretary, National Commission for Women, Plot No.21, Jasola Institutional Area, New Delhi – 110025 email: us-ncw@gov.in **latest by 23.10.2017**. Shortlisted candidates will be called for interaction/personal talk in the National Commission for Women during last week of October 2017 or first week of November 2017. The selected candidate will be required to join the Commission at the earliest possible.

=====